



उ. प्र. आवास विकास परिषद
द्वारा
अम्बेडकरपुरम् योजना संख्या-3, कल्यानपुर, कानपुर
तथा
हंसपुरम् योजना संख्या-2 नौबस्ता, कानपुर
के सेमी फिनिश भवनों का

पंजीकरण प्रारम्भ

पंजीकरण खुलने की तिथि **25-09-2012**

पंजीकरण की अन्तिम तिथि **25-10-2012**

सामान्य पंजीकरण हेतु प्रस्तावित भवनों का मूल्य/दरों का विवरण

अम्बेडकरपुरम् योजना संख्या-3, कल्यानपुर, कानपुर

क्रम सं.	सेक्टर संख्या	भवन का प्रकार	भवनों की प्रस्तावित संख्या	अनुमानित विक्रय मूल्य (रु० लाख में)	प्रस्तावित पंजीकरण धनराशि (रु० लाख में)		सम्पत्ति श्रेणी कोड	योजना के मुख्य आकर्षण
					सामान्य वर्ग	आरक्षित वर्ग		
1	3	97/242 सेमी फिनिश	13	47.00	2.35	1.20	01	• जी.टी. रोड से मुख्य पनकी मार्ग पर
2	ई	71/181 सेमी फिनिश उच्च आय वर्ग	14	38.00	1.90	0.95	02	• कल्यानपुर रेलवे स्टेशन एवं अर्मापुर इस्टेट के क्षेत्र में
3	9	85/162 सेमी फिनिश अल्प आय वर्ग	09	34.00	1.70	0.85	03	• पनकी पावर स्टेशन के निकट
4	9	53/127 सेमी फिनिश मध्यम आय वर्ग	03	25.00	1.25	0.63	04	• आई.आई.टी., राष्ट्रीय शर्करा संस्थान एवं भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान के निकट
5	1	56/121 सेमी फिनिश मध्यम आय वर्ग	03	24.00	1.20	0.60	05	• समस्त अवस्थापना सेवायें एवं सामुदायिक सेवायें उपलब्ध
6	1	75/127 सेमी फिनिश मध्यम आय वर्ग	01	28.00	1.40	0.70	06	• सुगम यातायात हेतु कल्यानपुर रेलवे क्रासिंग पर रेलवे उपरगामी सेतु प्रस्तावित
7	4	68/142 सेमी फिनिश मध्यम आय वर्ग	06	29.00	1.45	0.75	07	• योजना से विजय नगर तक 150 फिट चौड़ा मुख्य मार्ग
8	4	45/75 सेमी फिनिश अल्प आय वर्ग	18	15.00	0.75	0.38	08	• योजना में ईको पार्क का निर्माण
9	3	18/40 सेमी फिनिश दुर्बल आय वर्ग	18	6.00	0.30	0.15	09	

हंसपुरम् योजना संख्या-2, नौबस्ता, कानपुर

क्रम सं.	सेक्टर संख्या	भवन का प्रकार	भवनों की प्रस्तावित संख्या	अनुमानित विक्रय मूल्य (रु० लाख में)	प्रस्तावित पंजीकरण धनराशि (रु० लाख में)		सम्पत्ति श्रेणी कोड	योजना के मुख्य आकर्षण
					सामान्य वर्ग	आरक्षित वर्ग		
1	1ए/1बी	97/242 सेमीफिनिश उच्च आय वर्ग	28	40.00	2.00	1.00	01	• चार लेन हाईवे से हमीरपुर रोड मुख्य मार्ग पर स्थित
2	1ए/1बी	53/127 सेमीफिनिश मध्यम आय वर्ग	20	21.00	1.05	0.53	04	• मण्डी परिषद के पास
3	1बी/7	29/60 सेमीफिनिश अल्प आय वर्ग	27	10.00	0.50	0.25	10	• समस्त अवस्थापना सेवायें एवं सामुदायिक सेवायें उपलब्ध
4	7	18/40 सेमीफिनिश दुर्बल आय वर्ग	108	5.00	0.25	0.12	09	• सुगम यातायात की सुविधा
								• प्रदूषण मुक्त एवं हरित पट्टीयुक्त वातावरण

किश्तों में भुगतान विकल्प देने पर : • दुर्बल आय वर्ग के भवन आवंटन के पश्चात 10 प्रतिशत एक माह में व शेष धनराशि 15 वर्षों की सव्याज मासिक किश्तों में • अल्प आय वर्ग के भवन आवंटन के पश्चात 30 प्रतिशत एक माह में व शेष धनराशि 12 वर्षों की सव्याज मासिक किश्तों में • मध्यम आय वर्ग के भवन आवंटन के पश्चात 40 प्रतिशत एक माह में व शेष धनराशि 10 वर्षों की सव्याज मासिक किश्तों में • उच्च आय वर्ग के भवन आवंटन के पश्चात 50 प्रतिशत एक माह में व शेष धनराशि 10 वर्षों की सव्याज मासिक किश्तों में।

एक मुश्त भुगतान विकल्प देने पर : • आवंटन के पश्चात आवंटन पत्र निर्गत होने पर भवन के कुल मूल्य का 3 माह में भुगतान करना होगा एवं भूखण्ड के कुल मूल्य का 2 माह में भुगतान करना होगा • आवंटन के पश्चात आवंटन पत्र निर्गमन तिथि से 30 दिन के अन्दर सम्पत्ति के मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर भवनों में कुल मूल्य को 2 प्रतिशत की छूट की विशेष सुविधा।

पंजीकरण पुस्तिका प्राप्त एवं जमा करने हेतु बैंक

अम्बेडकरपुरम् योजना संख्या-3, कल्यानपुर, कानपुर		हंसपुरम् योजना संख्या-2, नौबस्ता कानपुर	
बैंक ऑफ बड़ौदा, केशव पुरम् आवास विकास कालोनी शाखा प्रबन्धक, श्री एस.के. दुबे, मो०-7800200422		विजया बैंक, शाखा आवास विकास योजना संख्या-1, कल्यानपुर, कानपुर शाखा प्रबन्धक, श्री एस०सी० सत्रधर, मो० 09957576816, फोन : 0512-2570181	

उपरोक्त के अतिरिक्त पंजीकरण पुस्तिका जन प्रकोष्ठ/प्रचार अनुभाग उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ से भी प्राप्त की जा सकती है।

महत्वपूर्ण नोट :

- सामान्य पंजीकरण 2012(01) की पंजीकरण पुस्तिका का विक्रय एवं पंजीकरण आवेदन पत्र समस्त संलग्नकों सहित जमा करने आदि से सम्बन्धित कार्य उपरोक्त बैंकों से किया जायेगा।
- (अ) डाक द्वारा पंजीकरण पुस्तिका मंगाने हेतु रु. 150/- पुस्तिका मूल्य एवं डाक व्यय (रु.50/-) प्रेषित कर पंजीकरण पुस्तिका उल्लिखित बैंकों एवं जन प्रकोष्ठ/प्रचार अनुभाग उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ से भी प्राप्त की जा सकती है।
(ब) डाक में होने वाले विलम्ब के लिए बैंक/परिषद उत्तरदायी नहीं होगी।
- बैंक ड्राफ्ट/पे ऑर्डर "उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद" के नाम से स्थानीय नगर पर देय होगा। पंजीकरण धनराशि नगद नहीं जमा की जायेगी।
- आरक्षित वर्ग हेतु पंजीकरण धनराशि 50 प्रतिशत होगी।

परिषद ने ग्राहकों की शिकायतों एवं समस्याओं के निस्तारण के लिए

जन-सुविधा केन्द्र

की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा अपनी शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं।

डायल करें
1800-180-5333
 (टोल-फ्री)
0522-2236803

यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में
प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक उपलब्ध है।



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

Website : [http://www.upavp.com](http://www.upavp.com;); Email : upavp@sancharnet.in

हमारा प्रयास आपका आवास

